न्यायालय एफ0टी0सी0/अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), रूद्रपुर, जिला– ऊधम सिंह नगर।

उपस्थितः अश्विनी गौड़ (उच्चतर न्यायिक सेवा)

विशेष सत्र परीक्षण संख्या– 51 वर्ष 2022

F. No. 374 / 2022

CNR No.UKUS010004652022

धारा– 376कख भारतीय दंड संहिता एवं

धारा– 5(ड)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,

एफ0आई0आर0 नं0– 345/2021,

थाना– ट्रांजिट कैम्प, जिला–उधम सिंह नगर,

अभियोजन	उत्तराखण्ड राज्य
विद्वान् अधिवक्ता अभियोजन	श्री विकास गुप्ता, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी/पॉक्सो) उधम सिंह नगर
अभियुक्त	हेतराम पुत्र नेकराम, निवासी– वार्ड नं0–37 रविन्द्र नगर, थाना– ट्रांजिट कैम्प, जिला– उधमसिंह नगर।
विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त	श्री मौ0 मिराज, एडवोकेट

अपराध की तिथि	07.12.2021 से पूर्व
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	07.12.2021
आरोप–पत्र की तिथि	05.02.2022
आरोप निर्धारण तिथि	22.04.2022
साक्ष्य आरम्भ तिथि	30.06.2022
निर्णय सुरक्षित रखे जाने की तिथि	16.12.2023
निर्णय तिथि	19.12.2023
दण्डादेश तिथि, यदि कोई हो।	आदेश भाग में वर्णित है

<u>विवरण अभियुक्तः</u>

अभि0 क्र0	नाम अभियुक्त	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर रिहा होने की तिथि	अधिरोपित आरोप	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षण के दौरान कारागर में बितायी गई अवधि
1.	हेतराम	08.12.2021	नहीं।	धारा– 376कख भा0द0सं0 व धारा– 5(ड)/6 पॉक्सो एक्ट	दोषसिद्ध	आदेश भाग में वर्णित है।	आदेश भाग में वर्णित है।

:निर्णयः

दिनांकः 19.12.2023–

अभियुक्त हेतराम के विरूद्ध थाना ट्रांजिट कैम्प, जिला उधमसिंह नगर द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 345/2021, धारा– 376 भारतीय दंड संहिता व धारा– 5/6 पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता की माता द्वारा थाना ट्रांजिट कैम्प को तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 इस आशय की दी गयी कि, निवेदन इस प्रकार है कि .... की निवासी है। महोदय अवगत कराना है कि मुझ प्रार्थिनी की पुत्री .... उम्र लगभग 7 वर्ष खाना पीना नहीं खा रही थी। मैंने अपनी पुत्री को डांटते हुये पूछा कि तू खाना क्यूं नहीं खा रही है तो मेरी पुत्री द्वारा बताया गया, ''मम्मी मेरे को अ.... के दादा ने बैठने के बहाने से गोद में लिया, अपनी पोती से रजाई डलवायी और अपनी पोतियों को कोने में सुला दिया और मेरे को अपने पास सुलाया, मेरे कच्छे में हाथ डालकर अ..... के दादा ने सूसू में उंगली डाली। अ.... के दादा अपने कच्छे में मेरा हाथ डलवाकर पकड़वा रहे थे, मैंने मम्मी सोचा कि पेट है लेकिन मम्मी वहां कुछ और ही था।'' महोदय उक्त व्यक्ति का नाम हेतराम है जो हमारे घर के पास में रहता है। मुझ प्रार्थिनी को भय है।

3– उक्त तहरीर प्रदर्श पी–1 के आधार पर थाना ट्रांजिट कैम्प, उधमसिंह नगर में मुकदमा अपराध संख्या 345/2021, अंतर्गत धारा– 376

भा0द0सं0 व धारा 5/6 पॉक्सो अधिनियम के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी। कायमी मुकदमे का इंद्राज सामान्य दैनिकी में किया गया।

4— मामले की विवेचना एस.आई. रीता चौहान द्वारा की गयी। दौराने विवेचना विवेचक ने बयानात गवाहन लिये तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी मेमो व सूचना मेमो तैयार किये गये तथा पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित कराये गये। घटना स्थल का मौका मुआयना कर नक्शा नजरी बनाया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर विवेचक द्वारा धारा— 376 भारतीय दंड संहिता व धारा— 5/6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5— न्यायालय द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुये अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयीं।

6— इस न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष व अभियुक्त को सुनने के पश्चात आरोप विरचित करने का पर्याप्त आधार पाते हुये दिनांक 22.04.2022 को अभियुक्त के विरूद्ध धारा— 376कख भारतीय दंड संहिता व धारा— 5(ड)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने घटना से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

7— साक्ष्य में अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथानक को सिद्ध करने के उद्देश्य से साक्षी पी0डब्लू0—1 पीड़िता, पी0डब्लू0—2 पीड़िता की माता, पी0डब्लू0—3 डॉ0 दिवान्शी मित्तल, पी0डब्लू0—4 पीड़िता के स्कूल के प्रधानाचार्य, पी0डब्लू0—5 कॉ0 959 कुन्दन सिंह भण्डारी एवं पी0डब्लू0—6 एस0आई0 रीता चौहान को न्यायालय में परीक्षित कराया गया।

8— अभियोजन की ओर से बतौर प्रलेखीय साक्ष्य, तहरीर प्रदर्श पी—1, पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी—2, पीड़िता के स्कूल के प्रवेश प्रार्थनापत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी—2ए, पीड़िता के आधारकार्ड की प्रति प्रदर्श पी—3, पीड़िता के स्कूल की एस0आर0 पंजिका की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी—4, पीड़िता के स्कूल द्वारा जारी जन्मतिथि प्रमाणपत्र प्रदर्श पी—5, चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श पी—6, मुकदमा कायमी जी0डी0 प्रदर्श पी—7, रवानगी जी0डी0 प्रदर्श पी—8, गिरफ्तारी सूचना मेमो प्रदर्श पी—9, खुलाशा जी0डी0

गिरफ्तारी प्रदर्श पी–10, नक्शा नजरी घटना स्थल प्रदर्श पी–11, आरोप–पत्र प्रदर्श पी–12 एवं पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा–164 द0प्र0सं0 आदि अभिलेख दाखिल किये गये। इस स्तर पर अभियोजन की ओर से साक्ष्य समाप्ति का पृष्ठांकन आदेशपत्र के हाशिये पर किया गया, अतः अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

9– अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया। अभियुक्त ने अपने बयान में घटना से इन्कार करते हुए मुकदमा गलत व झूठा चलने का कथन किया है तथा सफाई साक्ष्य पेश करने से इंकार किया।

10– अभियुक्त की ओर से सफाई साक्ष्य में कोई भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

11– न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

:निष्कर्ष:

12– इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन, अभियुक्त हेतराम के विरूद्ध पीड़िता के साथ बलात्कार तथा प्रवेशन लैंगिक अपराध को साबित करने में सफल रहा है ?

13– अभियोजन द्वारा अपने वाद को साबित करने हेतु पी0डब्लू0–1 पीड़िता, पी0डब्लू0–2 पीड़िता की माता, पी0डब्लू0–3 डॉ0 दिवान्शी मित्तल, पी0डब्लू0–4 पीड़िता के स्कूल के प्रधानाचार्य, पी0डब्लू0–5 कॉ0 959 कुन्दन सिंह भण्डारी एवं पी0डब्लू0–6 एस0आई0 रीता चौहान को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है।

14– इस वाद के विवेचन से पूर्व यह न्यायालय पीड़िता की आयु के संबंध में अभिमत् देना आवश्यक समझता है। पी0डब्लू0–4 पीड़िता के स्कूल के प्रधानाचार्य ने पीड़िता की जन्मतिथि 07.11.2014 को साबित किया है। पी0डब्लू0–4 पीड़िता के स्कूल के प्रधानाचार्य ने, प्रदर्श पी–2ए पीड़िता के स्कूल का प्रवेश फार्म, प्रदर्श पी–3 आधारकार्ड, प्रदर्श पी–4 एस0आर0 पंजिका व प्रदर्श पी–5 पीड़िता के स्कूल द्वारा जारी जन्मतिथि प्रमाण पत्र को साबित किया है। इन सब में पीड़िता की जन्मतिथि 07.11.2014 अंकित है। इससे इतर

पीड़िता का कोई अन्य जन्म प्रमाणपत्र पत्रावली पर संलग्न नहीं है।

15— ऐसे में घटना की तिथि 07.12.2021 से यदि पीड़िता की जन्मतिथि 07.11.2014 का आंकलन किया जाये तो घटना के समय पीड़िता का लगभग 07 वर्ष 01 माह की नाबालिग होना साबित होता है।

16— पी0डब्लू0—2 पीड़िता की माता ने थाना ट्रांजिट कैम्प पर इस आशय की तहरीर दी कि, **निवेदन इस प्रकार है कि .... की निवासी है। महोदय अवगत कराना है कि मुझ प्रार्थिनी की पुत्री .... उम्र लगभग 7 वर्ष खाना पीना नहीं खा रही थी। मैंने अपनी पुत्री को डांटते हुये पूछा कि तू खाना क्यूं नहीं खा रही है तो मेरी पुत्री द्वारा बताया गया, ''मम्मी मेरे को अ.... के दादा ने बैठने के बहाने से गोद में लिया, अपनी पोती से रजाई डलवायी और अपनी पोतियों को कोने में सुला दिया और मेरे को अपने पास सुलाया, मेरे कच्छे में हाथ डालकर अ... के दादा ने सूसू में उंगली डाली, अ..... के दादा अपने कच्छे में मेरा हाथ डलवाकर पकड़वा रहे थे, मैंने मम्मी सोचा कि पेट है लेकिन मम्मी वहां कुछ और ही था।'' महोदय उक्त व्यक्ति का नाम हेतराम है जो हमारे घर के पास में रहता है। मुझ प्रार्थिनी को भय है।**

17— पीड़िता की माता द्वारा दी गयी तहरीर का पंजीकरण पी0डब्लू0—5 कॉ0 959 कुन्दन सिंह द्वारा किया गया। पी0डब्लू0—5 कॉ0 959 कुन्दन सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि **''दिनांक 07.12.2021 को मैं थाना ट्रान्जिट कैम्प में कानि0 के पद पर तैनात था। उस दिन वादिनी मुकदमा की एक टाइपशुदा व हस्ताक्षरित तहरीर के आधार पर थाने में एक मुकदमा एफ आई आर संख्या 345/2021 धारा 376 आई पी सी व धारा 5/6 पाक्सो अधि0 बनाम हेतराम समय 20.30 बजे पंजीकृत हुआ था, जिसकी चिक एफ आई आर मेरे द्वारा थाना कार्यालय के कम्प्यूटर सेट पर बोल बोल कर कानि0 कुन्दन सिंह से टाइप करायी थी। चिक की प्रमाणित कम्प्यूटर जनरेट प्रति पत्रावली में मौजूद है। इस पर तत्कालीन थाना प्रभारी श्री धीरेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर हैं व थाना कार्यालय की मुहर लगी है। मैं तत्कालीन थानाध्य क्ष के साथ कार्यरत रहा हूं। उनका लेख हस्ताक्षर पहचानता हूं। चिक**

पर प्रदर्श पी–6 अंकित किया गया। इस मुकदमे का खुलाशा जी डी के रपट संख्या 59 दिनांक 07.12.2021 को समय 20.30 बजे थाना ट्रान्जिट कैम्प में मेरे द्वारा थाना कार्यालय के कम्प्यूटर सेट पर बोल बोल कर कानि0 कुन्दन सिंह से टाइप कराया था। जीडी की प्रमाणित कम्प्यूटर जनरेट प्रति पत्रावली में संलग्न है। इस पर थाना कार्यालय की मुहर लगी है तथा मेरे हस्ताक्षर हैं। अपने हस्ताक्षरों को तस्दीक करता हूं। जीडी पर प्रदर्श पी–7 अंकित किया गया। विवेचक ने इस सम्बन्ध में मेरा बयान लिया था।''

18– पी0डब्लू0–1 पीड़िता के धारा 164 द0प्र0सं0 के कथन दिनांक 08.12.2021 को दर्ज कराये गये, जिसमें पीड़िता ने कथन किया कि–

''प्र01– आपके साथ क्या हुआ?

उ0– हेतराम अंकल मेरे घर से थोड़ा दूर रहते हैं।

प्र02– उन्होंने आपके साथ कुछ किया?

<u>उ0– अंकल ने मेरी पेशाब की जगह उंगली घुसेड़ रहे थे।</u> फिर उन्होंने अपना कच्छा खोला तो अंकल अपने वहां हाथ डलवा रहे थे।

प्र03– फिर क्या हुआ ?

उ0– मुझे लगा पेट है पर कुछ और था।

प्र04–कब की बात है ?

उ0– परसो की बात है।

प्र05– आप कहां थे ?

उ0– मैं उनके घर के बाहर खेल रही थी फिर उनके घर में चली गयी।

प्र06– आपको उनके घर में किसने बुलाया ?

उ0– मैं अपने आप गयी थी।

प्र07– उनके घर पर कौन था ?

उ0– उनकी पोती थी और एक छोटी बच्ची थी। उनका नाम प..... और दि...... है।

प्र08– आप कहां थे ?

उ0– मैं उनके घर में टी0वी0 देख रही थी।

प्र09– उसके बाद क्या हुआ जब अंकल ने आपके साथ सब किया ?

उ0– मैं घर आ गयी थी।

प्र010– आपने घर आकर किसको बताया ?

उ0– मैंने अपनी मम्मी को बताया।''

19– पी0डब्लू0–1 पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि–

''प्र01– बेटा हेतराम अंकल बुढ्ढे हैं?

उ0–हॉ।

प्र02– हेतराम अंकल का घर आपके घर से कितनी दूर है?

उ0– थोड़ी दूर है।

प्र03– उनके घर में प..... और दि...... भी रहते हैं?

उ0– प.... रहती है। प.... हेतराम की पौती है।

प्र04– जो वो हेतराम अंकल हैं, ने प..... से रजाई मंगवायी था?

उ0– हॉ।

प्र05– उन्होंने आपको रजाई में अपने साथ लिटवाया थ?

उ0– हॉ।

<u>प्र06– उन हेतराम अंकल ने आपके उंगली कहां डाली थी?</u>

<u>उ0– टायलेट की जगह।</u>

प्र07– बेटा उन्होंने अपना कच्छा खोला था?

उ0–नहीं में सिर हिलाया।

प्र08– जब टायलेट की जगह उंगली डाली तो आपके दर्द हुआ था?

उ0–नहीं में सिर हिलाया।

प्र09– बेटा घर आकर मम्मी को बताया था?

उ0– हॉ में सिर हिलाया।

प्र010– बेटा आपका नाम क्या है?

उ0– व.... और दूसरा नाम र.... है।

प्र011– बेटा यह नाम किसने लिखा है? (साक्षी को उसके नाम बयान धारा 164 द0प्र0सं0 पर उसके हस्ताक्षरों के बारे में पूछा गया)

उ0– मुझे नहीं पता किसने लिखा।

प्र013– बेटा प.... के भाई का क्या नाम है?

उ0– अ...... है।

प्र016– साक्षी को अभियुक्त के रिमांड पेपर पर लगी उसकी फोटो

दिखाकर पूछा कि यह कौन है?

उ0— अ..... और प..... के दादा।

प्र017— साक्षी को उसके डी0एन0ए0 फार्म पर लगी पीड़िता की फोटो दिखाकर पूछा यह कौन है?

उ0— मेरी फोटो है।

प्र018— डी0एन0ए0 फार्म पर साक्षी के हस्ताक्षरों के बारे में पूछा गया, यह किसने लिखा है?

उ0— साक्षी ने कहा मैंने लिखा है।''

20— पी0डब्लू0—1 पीड़िता ने अपने धारा 164 द0प्र0सं0 के कथनों में यह कथन किया कि **''प्र0— आपके साथ क्या हुआ? उ0— हेतराम अंकल मेरे घर से थोड़ा दूर रहते हैं। प्र— उन्होंने आपके साथ कुछ किया? उ0— अंकल ने मेरी पेशाब की जगह उंगली घुसेड़ रहे थे। फिर उन्होंने अपना कच्छा खोला तो अंकल अपने वहां हाथ डलवा रहे थे।''** पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि **''प्र0 2— हेतराम का घर आपके घर से कितनी दूर है? उ0— थोड़ी दूर है।**

पीड़िता अपनी मुख्य परीक्षा में अपने धारा 164 द0प्र0सं0 के इस तथ्य का समर्थन कर रही है कि अभियुक्त उसके घर के पास में रहता है।

21— पीड़िता अपने धारा 164 द0प्र0सं0 के कथनों में कथन करती है कि **''प्र0 7— उनके घर पर कौन था? उ0— उनकी पोती थी और एक छोटी बच्ची थी। उनका नाम प.... और दि..... है।''** यह साक्षी अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करती है कि **''प्र0 3— उनके घर में प.... और दि.... भी रहते हैं? उ0— प.... रहती है। प.... हेतराम की पौती है।''** यह साक्षी अपनी मुख्य परीक्षा में इस बात का भी समर्थन करती है कि अभियुक्त की पौती का नाम प..... है।

22— पीड़िता अपने धारा 164 द0प्र0सं0 के कथनों में कथन करती है कि **''प्र0 2— उन्होंने आपके साथ कुछ किया? उ0— अंकल ने मेरी पेशाब की जगह उंगली घुसेड़ रहे थे। फिर उन्होंने अपना कच्छा खोला तो अंकल अपने वहां हाथ डलवा रहे थे।''** पीड़िता अपनी मुख्य परीक्षा में अपने धारा 164 द0प्र0सं0 के कथनों का समर्थन करते हुये कथन करती है कि **''प्र0 6— उन हेतराम अंकल ने आपके उंगली कहां डाली**

थी? उ0– टायलेट की जगह।''

23– पी0डब्लू0–1 पीड़िता ने अपने धारा 164 द0प्र0सं0 के कथनों में कथन किया कि **''प्र0 9– उसके बाद क्या हुआ जब अंकल ने आपके साथ सब किया ? उ0– मैं घर आ गयी थी। प्र0 10– आपने घर आकर किसको बताया ? उ0– मैंने अपनी मम्मी को बताया।''**

24– पी0डब्लू0–1 पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में अपने धारा 164 द0प्र0सं0 के कथनों का समर्थन करते हुये कथन किया कि **''प्र0 9– बेटा घर आकर मम्मी को बताया था? उ0– हॉ में सिर हिलाया।''**

25– यह घटना दिनांक 07.12.2021 की है, जो कि सर्दियों का मौसम था। पी0डब्लू0–1 पीड़िता के धारा 164 द0प्र0सं0 के कथन दिनांक 08.12.2021 को अंकित कराये गये। पी0डब्लू0–1 पीड़िता ने अपने धारा 164 द0प्र0सं0 के कथनों में कथन किया कि **''प्र0 4– कब की बात है? उ0– परसो की बात है।''** यह साक्षी अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन करती है कि **''प्र0 21– उस समय जाड़ा था या गर्मी थी? उ0– ठंड थी।''**

26– बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया कि पीड़िता की माता ने घटना का समर्थन नहीं किया है तथा घटना से इंकार किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अनेकों नजीरों में स्पष्ट किया है कि पक्षद्रोही साक्षी का साक्ष्य पूरी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता है और जो कथन अभियोजन के कथानक का समर्थन करता है, उसको स्वीकार किया जाना चाहिये।

पी0डब्लू0–2 पीड़िता की माता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि **''पी0डब्लू0–1 मेरी पुत्री है। उसकी जन्मतिथि 07.11.2014 है, जो सही है। पी0डब्लू0–1 इस समय कक्षा 1 में .... स्कूल में पढ़ रही है। मैं अभियुक्त को जानती हूं। दिनांक 06.12.2021 को मैं शाम के समय पी0डब्लू0–1 को साथ लेकर सब्जी लेने जा रही थी। मैंने पी0डब्लू0–1 को रास्ते से खाने की चीज भी दिलाई थी। पी0डब्लू0–1 को उस समय बुखार था। बुखार के कारण पी0डब्लू0–1 ने उस समय वह चीजे नहीं खायी। घर आकर मैंने पी0डब्लू0–1 को बाजार से दिलवायी चीज उसकी दादी ने खिलाई थी। <u>पी0डब्लू0–1 चुपचाप थी और खा पीकर मेरी गोद में सो गयी।</u> पी0डब्लू0–1 ने सोने से पहले मुझे बताया कि 07.12.2021 को मैं अ..... के घर अ.....**

और बाकी बच्चों के साथ रजाई उठाकर खेल रहे थे और खेलने के बाद मैं अपने घर लौट आयी थी। पी0डब्लू0–1 ने मुझे बताया कि अ..... के दादा अभियुक्त द्वारा पी0डब्लू0–1 को कोने में ले जाकर पी0डब्लू0–1 को अपने साथ रजाई में सुलाकर पी0डब्लू0–1 के कच्छे में हाथ डालकर पी0डब्लू0–1 की शूशू में उंगली डालने तथा उसे दर्द होने वाली बात नहीं बतायी। पी0डब्लू0–1 ने मुझे अभियुक्त द्वारा अपने गुप्तांग को छूने को कहने वाली बात भी नहीं बतायी। मैं अभियुक्त से बात करने उसके घर नहीं गयी थी। अभियुक्त ने मुझसे घटना के बारे में माफी नहीं मांगी थी। गांव के काफी लोग मुझे ट्ान्जिट कैम्प थाने में ले गये थे। उन लोगों ने मुझसे एक टाइप किये गये कागज पर मेरे हस्ताक्षर कराये थे। उन लोगों ने उस कागज पर क्या लिखा था, मुझे पढ़कर सुनाया नहीं था। सुने बगैर उस कागज तहरीर पर मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिये थे। पत्रावली में संलग्न तहरीर को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही तहरीर है, इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। अपने हस्ताक्षर को तस्दीक करती हूं। तहरीर पर प्रदर्श पी–1 अंकित किया गया। पी0डब्लू0–1 का मेडिकल सरकारी अस्पताल रूद्रपुर में हुआ था। पी0डब्लू0–1 को पुलिस वाले अस्पताल लेकर गये थे। मैं भी साथ गयी थी। मजिस्ट्रेट साहब के सामने पी0डब्लू0–1 का बयान हुआ था।''

पी0डब्लू0–1 पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि **''प्र0 4– जो वो हेतराम अंकल हैं, ने प.... से रजाई मंगवायी थी? उ0–हॉ। प्र0 5– उन्होंने आपको रजाई में अपने साथ लिटवाया था। उ0–हॉ। प्र0 6– उन हेतराम अंकल ने आपके उंगली कहां डाली थी? उ0– टायलेट की जगह।''** जबकि पी0डब्लू0–2 ने अपनी तहरीर में भी यही अंकित किया है कि **''मम्मी मेरे को अ.... के दादा ने बैठने के बहाने से गोद में लिया, अपनी पोती से रजाई डलवायी और अपनी पोतियों को कोने में सुला दिया और मेरे को अपने पास सुलाया, मेरे कच्छे में हाथ डालकर अ..... के दादा ने सूसू में उंगली डाली, अ.... के दादा अपने कच्छे में मेरा हाथ डलवाकर पकड़वा रहे थे, मैंने मम्मी सोचा कि पेट है लेकिन मम्मी वहां कुछ और ही था।''**

27– पी0डब्लू0–1 पीड़िता अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करती है कि **''प्र0 1– बेटा हेतराम अंकल बुढ्ढे हैं? उ0– हॉ। प्र0 2– हेतराम का घर आपके घर से कितनी दूर है? उ0– थोड़ी दूर है।''** पी0डब्लू0–2 पीड़िता की माता अपनी तहरीर में कथन करती है कि **''महोदय उक्त व्यक्ति का नाम हेतराम है जो हमारे घर के पास में रहता है।''** पी0डब्लू0–2 पीड़िता की माता अपनी अभियोजन की प्रतिपरीक्षा में कथन करती है कि **''अभियुक्त उम्र से बूढ़े हैं, कितनी उम्र होगी नहीं बता सकती। अभियुक्त का घर हमारे घर से 5–6 घर छोड़कर है। <u>अभियुक्त की पोती पी0डब्लू0–1 की सहेली है।''</u>**

28– पी0डब्लू0–1 पीड़िता दिनांक 07.12.2021 को खेलने अभियुक्त के घर गयी थी। इसका समर्थन पी0डब्लू0–2 पीड़िता की माता ने अपनी प्रतिपरीक्षा में भी किया है। पी0डब्लू0–2 पीड़िता की माता ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि **''दिनांक 07.12.2021 को पी0डब्लू0–1 अभियुक्त के पोते और पोती के साथ खेलने उनके घर गयी थी। उस समय मैं अपने घर पर थी। पी0डब्लू0–1 थोड़ी देर खेलने के बाद घर आ गयी थी।''**

29– जहॉ तक बात इस तथ्य की है कि तहरीर किसी अन्य व्यक्ति ने टाइप करायी थी और उस पर बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिये थे। यह न्यायालय इस तथ्य से सहमत नहीं है, क्योंकि पीड़िता की माता ने तहरीर में वह कथन लिखा जो कि पीड़िता ने उसे बताया। इसके अतिरिक्त पीड़िता की माता ने तहरीर में अपना पूरा पता भी लिखा और स्वयं पीड़िता की माता तहरीर को देने थाना ट्रांजिट कैम्प भी गयी। पी0डब्लू0–5 कॉ0 959 कुन्दन सिंह भण्डारी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि **<u>''तहरीर देने थाने वादिनी आयी थी। दि0 07.12.2021 को समय 20.30 बजे तहरीर लेकर आयी थी।''</u>** किसी भी साक्षी ने यह कथन नहीं किया कि तहरीर देने कोई भी अन्य व्यक्ति पीड़िता की माता के साथ आया हो।

30– इसके अतिरिक्त पीड़िता की माता उस समय भी न्यायालय में उपस्थित थी, जब पीड़िता के धारा 164 द0प्र0सं0 के कथन रिकार्ड किये जा रहे थे। पीड़िता के धारा 164 द0प्र0सं0 के कथनों में प्रमाण पत्र संलग्न है। (**प्रमाण पत्र–** *प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 08.12.2021 को*

विवेचक उ0नि0 रीता चौहान द्वारा पीड़िता को मेरे समक्ष बयान 164 द0प्र0सं0 1973 अंकित करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया। पीड़िता की पहचान विवेचक उ0नि0 रीता चौहान द्वारा की गयी। चूंकि पीड़िता की उम्र 07 वर्ष है एवं पीड़िता नाबालिग है, <u>अतः उसके बयान धारा 164 द0प्र0सं0 अंकित करते समय उसकी माता उसके साथ उपस्थित है।</u> संपूर्ण बयान के दौरान यद्यपि पीड़िता की माता उसके साथ उपस्थित थी परंतु उनके द्वारा इशारों से या बोलकर पीड़िता की बयान देने में कोई सहायता नहीं की गयी। पीड़िता के बयान पीड़िता की स्वेच्छाया से उसके बताये अनुसार शब्द व शब्द अंकित किये गये।)

31— इसके अतिरिक्त पीड़िता की माता पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण के समय भी अस्पताल में उपस्थित थी तथा स्वयं पीड़िता की माता ने पीड़िता के परीक्षण की अनुमति दी थी व पीड़िता के साथ हुयी घटना के संबंध में चिकित्सक को बताया था। पी0डब्लू0—3 डॉ0 दिवांशी मित्तल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि **''दिनांक 07.12.2021 को मैं जवाहर लाल नेहरू जिला चिकित्सालय रूद्रपुर में महिला चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात थी। उस दिन म0का0 सीमा आर्या थाना ट्रान्जिट कैम्प द्वारा पी0डब्लू0—1 उम्र 04 वर्ष को समय 09.35 बजे रात्रि में मेरे समक्ष उसके चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया। पी0डब्लू0—1 के साथ पी0डब्लू0—2 भी थी। <u>पी0डब्लू0—2 ने पी0डब्लू0—1 के चिकित्सीय परीक्षण हेतु अपनी सहमति देते हुये सहमति के निशानी अंगूठा लगाया।</u> पी0डब्लू0—1 के माथे पर एक काले तिल का निशान था। पी0डब्लू0—1 को माहवारी नहीं शुरू हुयी थी। पी0डब्लू0—1 तथा पी0डब्लू0—2 लिखना नहीं जानते थे इसलिये पी0डब्लू0—2 के घटना के बारे में बताने पर मेरे निर्देशन में म0का0 सीमा आर्या ने मेडिकल पेपर पर अपने हाथ से लिखकर उस पर पी0डब्लू0—1 और पी0डब्लू0—2 के निशानी अंगूठे लगवाये। पी0डब्लू0—1 के शरीर पर बाहरी ओर कोई जाहिरा चोट का निशान नहीं था। पी0डब्लू0—1 ने बताया कि अभियुक्त ने उसके शरीर पर चुम्बन लिये थे। पी0डब्लू0—2 ने बताया कि पी0डब्लू0—1 ने घटना के समय पहने कपड़े धो लिये तथा वह नहा धो ली थी, इसलिये मैंने पी0डब्लू0—1 के कपड़े अपने**

कब्जे में नहीं लिये थे। घटना एक से सात दिन पुरानी थी। पी0डब्लू0–1 की पेशाब करने वाली जगह पर लालिमा थी तथा उसे छूने पर पी0डब्लू0–1 दर्द की शिकायत कर रही थी। पी0डब्लू0–1 के कोई रक्तश्राव नहीं हो रहा था। मैंने पी0डब्लू0–1 का वैजाइनल स्वैब व वैजाइनल स्मीयर लेकर उसकी स्लाइड तैयार कर सील सर्वे मुहर कर डी एन ए टेस्ट व पैथोलोजी टेस्ट के लिये साथ आयी महिला का0 के सुपुर्द किये। बवक्त मुआयना दिनांक 07.12.2021 को समय 09.55 बजे रात्रि में मैंने पी0डब्लू0–1 की मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर उस पर पी0डब्लू0–1 के दांये हाथ का निशान अंगूठा लगवाया। मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर अस्पताल की मुहर लगी है।''

32– इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि **''पी0डब्लू0–1 मेरे पास 09.35 बजे रात्रि में मेडिकल के लिये लाया गया था। <u>पी0डब्लू0–1 के साथ म0कानि0 सीमा आर्या और पी0डब्लू0–1 की माता भी थी। पी0डब्लू0–1 की माता द्वारा आन्तरिक व बाहरी मेडिकल के लिये सहमति दी गयी थी।</u> पी0डब्लू0–1 के शरीर पर कोई चोट खरोंच के निशान नहीं पाये गये थे।''**

33– यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पीड़िता की माता ने ही पीड़िता के साथ घटित घटना के संबंध में पीड़िता की चिकित्सक को बताया था। पीड़िता के मेडिकल प्रपत्र में Descreption of incident के संबधं में लिखा है कि *''पीड़िता व उसकी मॉ उसकी लिख नहीं सकती है, इसलिये मैं म0कॉ0 403 सौम्य आर्या उनके द्वारा बताये गये बयान लिख रही हूँ। दिनांक 05.12.2021 को शाम के समय जब मेरी बच्ची पड़ोस में खेल रही थी कुछ बच्चों के साथ तो पड़ोस के घर में एक बुजुर्ग आदमी हेतराम जो पड़ोसी है, मेरी बेटी को अपने घर ले गया। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की जबरदस्ती कोशिश की उसकी मर्जी के खिलाफ कर बच्ची रोई चिल्लाई और आज दि0 07.12.2021 को मुझे मेरी डर कर ये सारी बात बतायी।''*

पी0डब्लू0–3 डॉ0 दिवांशी मित्तल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि **''पी0डब्लू0–1 तथा पी0डब्लू0–2 लिखना नहीं जानते थे इसलिये पी0डब्लू0–2 के घटना के बारे में बताने पर मेरे निर्देशन**

में म0का0 सीमा आर्या ने मेडिकल पेपर पर अपने हाथ से लिखकर उस पर पी0डब्लू0–1 और पी0डब्लू0–2 के निशानी अंगूठे लगवाये।''

34– पी0डब्लू–6 एस0आई0 रीता चौहान ने भी पीड़िता की माता के बयान लिये, जिसने पीड़िता के साथ घटी घटना को एस0आई0 रीता चौहान को बताया। पी0डब्लू0–6 एस0आई0 रीता चौहान ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि **''दिनांक 07.12.2021 को मैं थाना ट्रान्जिट कैम्प में एस आई के पद पर तैनात थी। उस दिन मुझे प्रभारी निरीक्षक के आदेश पर मुकदमा एफ आई आर संख्या 345/2021 धारा 376 आई पी सी व 5/6 पाक्सो अधि0 बनाम हेतराम के अभियोग की विवेचना मेरे सुपुर्द हुयी थी। विवेचना ग्रहण कर मैंने थाना कार्यालय से नकल चिक, नकल रपट प्राप्त कर संलग्न सीडी की तथा एफ आई आर लेखक कानि0 सुन्दर भण्डारी के बयान अंकित किये। उसी दिन मैंने वादिनी के घर जाकर पीड़िता के बाबत पूछा तो वादिनी ने छोटी बच्ची की ओर इशारा करके बताया कि यही मेरे बेटी पीड़िता है। मैंने वादिनी के बयान अंकित कर वादिनी तथा महिला कानि0 की मौजूदगी में पीड़िता जिसकी उम्र 7 साल थी, के बयान अंकित किये तथा पीड़िता को उसके चिकित्सीय परीक्षण के लिये महिला कानि0 सीमा आर्या तथा उसकी माता के साथ जिला चिकित्सालय रूद्रपुर भिजवाया। उसी दिन मैं अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिये उसके घर गयी, मौजूद नहीं मिला। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त कर अवलोकन किया।''**

35– **State of UP Vs Ramesh Mishra AIR 1996 SC 2766** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य के संबंध में निम्न अभिमत् व्यक्त किया है– *It is equally settled law that the evidence of a hostile witness would not be totally rejected if spoken in favour of the prosecution or the accused but it can be subjected to closer scrutiny and that portion of the evidence which is consistent with the case*

of the prosecution or defence may be accepted.

इसी प्रकार का अभिमत् **माननीय उच्चतम न्यायालय ने K. Anbazhagan Vs Superintendent of Police, AIR 2004 SC 524** के मामले में भी व्यक्त किया है– *If the Judges finds that in the process the credit of the witness has not been completely shaken, he may after reading and considering the evidence of the witness as a shole with due caution and case, accept in the light of other evidence on the record, that part of his testimony which he finds to be credit worthy and at upon it.*

एक अन्य मामले Raja Vs State of Karnataka, 2016(9) SCALE 627 में माननीय न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि – *That the evidence of a hostile witness in all eventualities ought not stand effaced altogether and that the same can be accepted to the extent found dependable on a caseful scrutiry.*

36– इस प्रकार उपरोक्त न्याय निर्णयनों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य का पूर्ण रूप से बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिये, बल्कि उनके साक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिये तथा उन्हें उस सीमा तक स्वीकार किया जाना चाहिये जहां तक वे विश्वसनीय प्रतीत होते हैं तथा उनकी पुष्टि शेष साक्ष्य के माध्यम से होती है। इस मामले में वादिनी मुकदमा ने अभियुक्त के नाम नामजद तहरीर दर्ज करायी है। पी0डब्लू0–5 कॉ0 कुन्दन सिंह भण्डारी ने यह साबित किया है कि तहरीर देने थाने पर वादिनी स्वंय आयी थी। पी0डब्लू0–5 कॉ0 कुन्दन सिंह भण्डारी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि **''तहरीर देने थाने वादिनी आयी थी। दि0 07.12.2021 को समय 20.30 बजे तहरीर लेकर आयी थी।''** पीड़िता की मेडिकलकर्ता ने भी यह साबित किया है कि पीड़िता का मेडिकल कराने पीड़िता की माता वादिनी मुकदमा साथ आयी थी तथा पीड़िता के

मेडिकल परीक्षण के लिये सहमति दी थी। पी0डब्लू0—3 डॉ0 दिवान्शी मित्तल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि **''पी0डब्लू0—1 के साथ पी0डब्लू0—2 भी थी। पी0डब्लू0—2 ने पी0डब्लू0—1 के चिकित्सीय परीक्षण हेतु अपनी सहमति देते हुये सहमति के निशानी अंगूठा लगाया।''** पत्रावली पर मेडिकल प्रपत्र संलग्न हैं, जिसमें वादिनी मुकदमा का अंगूठा निशानी लगा है, जिसे चिकित्सक ने तस्दीक किया है। पीड़िता के धारा 164 द0प्र0सं0 के कथन मजिस्ट्रेट द्वारा अंकित कराये गये, जिसमें पी0डब्लू0—2 पीड़िता की माता, पीड़िता की आयु अत्यन्त कम होने के कारण पीड़िता के साथ उपस्थित थी, जिसके संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज अवर खण्ड, रूद्रपुर, जिला उधमसिंह नगर द्वारा पीड़िता के धारा 164 द0प्र0सं0 में लिखा गया है कि (**प्रमाण पत्र—** *प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 08.12.2021 को विवेचक उ0नि0 रीता चौहान द्वारा पीड़िता को मेरे समक्ष बयान 164 द0प्र0सं0 1973 अंकित करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया। पीड़िता की पहचान विवेचक उ0नि0 रीता चौहान द्वारा की गयी। चूंकि पीड़िता की उम्र 07 वर्ष है एवं पीड़िता नाबालिग है, अतः उसके बयान धारा 164 द0प्र0सं0 अंकित करते समय उसकी माता उसके साथ उपस्थित है। संपूर्ण बयान के दौरान यद्यपि पीड़िता की माता उसके साथ उपस्थित थी परंतु उनके द्वारा इशारों से या बोलकर पीड़िता की बयान देने में कोई सहायता नहीं की गयी। पीड़िता के बयान पीड़िता की स्वेच्छाया से उसके बताये अनुसार शब्द व शब्द अंकित किये गये।*) पीड़िता की माता द्वारा जो तहरीर दी गयी है, उस तहरीर पर भी पीड़िता की माता ने अपना निशानी अंगूठे की पहचान की है तथा स्वयं पी0डब्लू0—2 पीड़िता की माता ने इस बात का कथन किया कि पीड़िता उस दिन बच्चों के साथ खेल रही थी और अभियुक्त ने बैठने के बहाने से उसे गोद में लिया और अपनी पोती से रजाई डलवायी और अपनी पोतियों को कोने में सुला दिया और पीड़िता को अपने पास सुलाया और उसके कच्छे में हाथ डालकर उसकी सूसू में उंगली डाली और अभियुक्त, पीड़िता से अपने कच्छे में उसका हाथ डलवाकर पकड़वा रहा था। पी0डब्लू0—2 पीड़िता की माता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि **''पी0डब्लू0—1 चुपचाप थी और खा पीकर मेरी गोद में सो गयी। पी0डब्लू0—1 ने सोने से पहले मुझे बताया कि 07.12.2021 को मैं अ..... के घर अ..... और बाकी**

बच्चों के साथ रजाई उठाकर खेल रहे थे और खेलने के बाद मैं अपने घर लौट आयी थी।'' स्वयं पी0डब्लू0–2 पीड़िता की माता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि पीड़िता का मेडिकल हुआ था और मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसके बयान हुये थे। पी0डब्लू0–2 पीड़िता की माता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि **''पी0डब्लू0–1 का मेडिकल सरकारी अस्पताल रूद्रपुर में हुआ था। पी0डब्लू0–1 को पुलिस वाले अस्पताल लेकर गये थे। मैं भी साथ गयी थी। मजिस्ट्रेट साहब के सामने पी0डब्लू0–1 का बयान हुआ था।''** पी0डब्लू0–2 पीड़िता की माता ने अपनी प्रतिपरीक्षा में भी यह कथन किया कि **''दिनांक 07.12.2021 को पी0डब्लू0–1 अभियुक्त के पोते और पोती के साथ खेलने उनके घर गयी थी। उस समय मैं अपने घर पर थी। पी0डब्लू0–1 थोड़ी देर खेलने के बाद घर आ गयी थी। मैंने पी0डब्लू0–1 के कपड़े उतार कर उसके गुप्तांग को नहीं देखा था। अस्पताल में मेडिकल के समय मैंने डाक्टर को पी0डब्लू0–1 के आन्तरिक व बाहरी जांच के लिये निशानी अंगूठा लगाकर सहमति दी थी तथा मेडिकल पेपर के कालम संख्या 15ए पर मैंने अपना निशानी अंगूठा लगाया था।''** अतः पी0डब्लू0–2 पीड़िता की माता का उपरोक्त साक्ष्य पीड़िता के साक्ष्य का समर्थन करता है।

37– पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 07.12.2021 को जवाहर लाल नेहरू जिला चिकित्सालय रूद्रपुर में डॉ0 दिवांशी मित्तल द्वारा किया गया। पी0डब्लू0–3 डॉ0 दिवांशी मित्तल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि **''दिनांक 07.12.2021 को मैं जवाहर लाल नेहरू जिला चिकित्सालय रूद्रपुर में महिला चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात थी। उस दिन म0का0 सीमा आर्या थाना ट्रान्जिट कैम्प द्वारा पी0डब्लू0–1 उम्र 04 वर्ष को समय 09.35 बजे रात्रि में मेरे समक्ष उसके चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया। पी0डब्लू0–1 के साथ पी0डब्लू0–2 भी थी। पी0डब्लू0–2 ने पी0डब्लू0–1 के चिकित्सीय परीक्षण हेतु अपनी सहमति देते हुये सहमति के निशानी अंगूठा लगाया। पी0डब्लू0–1 के माथे पर एक काले तिल का निशान था। पी0डब्लू0–1 को माहवारी नहीं शुरू हुयी थी। पी0डब्लू0–1 तथा पी0डब्लू0–2 लिखना नहीं जानते थे इसलिये पी0डब्लू0–2 के घटना के बारे में बताने पर मेरे निर्देशन में**

म0का0 सीमा आर्या ने मेडिकल पेपर पर अपने हाथ से लिखकर उस पर पी0डब्लू0–1 और पी0डब्लू0–2 के निशानी अंगूठे लगवाये। पी0डब्लू0–1 के शरीर पर बाहरी ओर कोई जाहिरा चोट का निशान नहीं था। पी0डब्लू0–1 ने बताया कि अभियुक्त ने उसके शरीर पर चुम्बन लिये थे। पी0डब्लू0–2 ने बताया कि पी0डब्लू0–1 ने घटना के समय पहने कपड़े धो लिये तथा वह नहा धो ली थी, इसलिये मैंने पी0डब्लू0–1 के कपड़े अपने कब्जे में नहीं लिये थे। घटना एक से सात दिन पुरानी थी। पी0डब्लू0–1 की पेशाब करने वाली जगह पर लालिमा थी तथा उसे छूने पर पी0डब्लू0–1 दर्द की शिकायत कर रही थी। पी0डब्लू0–1 के कोई रक्तश्राव नहीं हो रहा था। मैंने पी0डब्लू0–1 का वैजाइनल स्वैब व वैजाइनल स्मीयर लेकर उसकी स्लाइड तैयार कर सील सर्वे मुहर कर डी एन ए टेस्ट व पैथोलोजी टेस्ट के लिये साथ आयी महिला का0 के सुपुर्द किये। बवक्त मुआयना दिनांक 07.12.2021 को समय 09.55 बजे रात्रि में मैंने पी0डब्लू0–1 की मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर उस पर पी0डब्लू0–1 के दांये हाथ का निशान अंगूठा लगवाया। मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर अस्पताल की मुहर लगी है। अपने लेख व हस्ताक्षर की तस्दीक करती हूं। मेडिकल रिपोर्ट पर प्रदर्श पी–2 अंकित किया गया। मेरी राय में पी0डब्लू0–1 के आन्तरिक व बाहरी परीक्षण के उपरान्त पी0डब्लू0–1 के साथ बलात्कार होने के सम्बन्ध में कोई निश्चित राय देना सम्भव नहीं था। आज मैं अपने साथ अस्पताल का पी एम एल सी रजिस्टर लायी हूं, जिसके पृष्ठ संख्या 307 पर पी0डब्लू0–1 की मेडिकल रिपोर्ट की कार्बन प्रति में इन्द्राजी है। मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। अपने लेख व हस्ताक्षर की तस्दीक करती हूं। इस पर पी0डब्लू0–1 का निशानी अंगूठा लगा है।''

38– इस साक्षी ने अपनी चिकित्सीय परीक्षण में पीड़िता की पेशाब करने वाली जगह पर लालिमा तथा छूने पर दर्द की शिकायत करने का कथन किया, जो कि पीड़िता के मौखिक साक्ष्य का समर्थन करता है।

39– बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर

जो लालिमा पायी गयी है, वह इन्फेक्शन के कारण हो सकती है। इस कारण इससे घटना की पुष्टि नहीं होती है। पी0डब्लू0–3 डॉ0 दिवांशी मित्तल ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि **''यह कहना सही है कि पेशाब वाली जगह पर हल्की लालिमा इन्फेक्शन के कारण खुजली करने से हो सकती है, जो सामान्य है।''**

40– यह न्यायालय बचाव पक्षा के इस तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि पीड़िता ने मौखिक साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त द्वारा उसके प्राईवेट अंग में अंगुली को प्रवेश कराया तथा पीड़िता मात्र 07 वर्ष की है और उसी दिन पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण किया गया तथा पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर लालिमा पायी गयी, जो कि पीड़िता के मौखिक कथन का समर्थन करती है। अतः बचाव पक्ष को इससे समर्थन नहीं मिलता है।

41– बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त द्वारा जो अपराध किया गया है, वह बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि वह अपराध पीड़िता के साथ धारा 354 भा0द0सं0 व धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत आता है और इस कारण अभियुक्त इसका लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अभियुक्त के विरूद्ध धारा 376 भा0द0सं0 व धारा 5(ड)/6 पॉक्सो अधिनियम का अपराध नहीं बनता है।

42– सर्वप्रथम इस संबंध में बलात्कार तथा गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमले की परिभाषा को देखा जाना आवश्यक है।

बलात्संग के अपराध को धारा–375 भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित किया गया है–

''मनुष्य ''बलात्संग'' करता है, यह कहा जाता है, यदि वह व्यक्ति–

(क)– अपने लिंग का किसी सीमा तक स्त्री की योनि, मुख, मूत्रनली या गुदा में प्रवेशन करता है या उससे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है, या

(ख)– किसी वस्तु या शरीर के ऐसे किसी अंग को, जो लिंग नहीं है, स्त्री की योनि, मूत्रनली या गुदा में किसी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है, या

(ग)– स्त्री के शरीर के किसी अंग से इस प्रकार का हस्तसाधन

करता है, जिससे कि ऐसी स्त्री की योनि, मूत्रनली, गुदा या शरीर के किसी अंग में प्रवेशन कारित किया जाय या उससे अपने या किसी अन्य व्यक्ति से साथ ऐसा कराता है, या

(घ)– अपने मुख को स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रनली पर लगाता है या उससे निम्न सात विवरणों में से किसी के अधीन आने वाली परिस्थितियों के अधीन किया जाता है–

प्रथम– उस स्त्री की इच्छा के विरूद्ध।

द्वितीय– उस स्त्री की सम्मति के बिना।

तृतीय– उस स्त्री की सम्मति से, जबकि उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गयी है।

चौथा– उस स्त्री की सम्मति से, जबकि वह पुरूष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इसलिये दी है, क्योंकि वह विश्वास करती है कि वह एक ऐसा पुरूष है, जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।

पॉचवॉ– उस स्त्री की सम्मति से, जबकि ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृत चित्त या मत्तता के कारण या उस पुरूष द्वारा व्यक्तिगत रूप में या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ का सेवन कराये जाने के कारण, उस बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति एवं परिणामों को समझने में असमर्थ है।

छठवॉ– उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति के, जबकि वह अट्‌ठारह वर्ष से कम आयु की है,

सातवॉ– जब वह स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है।

43– प्रवेशन लैंगिक हमले की परिभाषा धारा–3 पॉक्सो अधिनियम में दी गयी है।

धारा–3 प्रवेशन लैंगिक हमला– कोई व्यक्ति, “प्रवेशन लैंगिक हमला” करता है, यह कहा जाता है यदि वह –
(क) अपना लिंग, किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी

अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(ख) किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसेड़ता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(ग) बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे वह बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा या बालक के शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(घ) बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है।

और जब ऐसा प्रवेशन लैंगिक हमला 12 वर्ष से कम आयु के बालक पर किया जाता है तो वह धारा 5 की श्रेणी में गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमले की श्रेणी में आता है।

धारा–5 गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला–

(क) जो कोई, पुलिस अधिकारी होते हुए किसी बालक पर,

(i) पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है; या

(ii) किसी थाने के परिसरों में, चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित हैं या नहीं जिसमें उसकी नियुक्ति की गई है; या

(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा; या

(iv) जब वह, पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो,

प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ख) जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बालक पर,-

(i) ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिसमें वह व्यक्ति तैनात है; या

(ii) बलों या सशस्त्र बलों की कमान के अधीन किन्हीं क्षेत्रों में; या

(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा, या

(iv) जहां उक्त व्यक्ति, सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो,

प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ग) जो कोई लोक सेवक होते हुए, किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(घ) जो कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संरक्षण गृह, संप्रेक्षण गृह या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के किसी अन्य स्थान का प्रबंध या कर्मचारिवृंद ऐसे जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संप्रेक्षण गृह या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ङ) जो कोई, किसी अस्पताल, चाहे सरकारी या प्राइवेट हो, का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए उस अस्पताल में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(च) जो कोई, किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए उस संस्था में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(छ) जो कोई, किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।

स्पष्टीकरण– जहां किसी बालक पर, किसी समूह के एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके सामान्य आशय को अग्रसर करने में लैंगिक हमला किया गया है वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस खंड के अर्थातर्गत सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया जाना समझा जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए वैसी ही रीति में दायी होगा मानो वह उसके द्वारा अकेले किया गया था; या

(ज) जो कोई, किसी बालक पर घातक आयुध, अग्न्यायुध, गर्म पदार्थ या संक्षारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(झ) जो कोई, किसी बालक को घोर उपहति कारित करते हुए या शारीरिक रूप से नुकसान और क्षति करते हुए, या उसके/उसकी जननेंद्रियों को क्षति करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ञ) जो कोई, किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है जिससे,-

(i) बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या बालक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 2 के खंड (ठ) के अधीन यथापरिभाषित मानसिक रूप से रोगी हो जाता है या किसी प्रकार का ऐसा ह्रास कारित करता है जिससे बालक अस्थायी या स्थायी रूप से नियमित कार्य करने में अयोग्य हो जाता है;

(ii) बालिका की दशा में, वह लैंगिक हमले के परिणामस्वरूप, गर्भवती हो जाती है;

(iii) बालक, मानव प्रतिरक्षाह्रास विषाणु या किसी ऐसे अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से ग्रस्त हो जाता हैं जो बालक को शारीरिक रूप से अयोग्य, या नियमित कार्य करने में मानसिक रूप से अयोग्य करके अस्थाई या स्थाई रूप से ह्रास कर सकेगा;

(iv) बालक की मृत्यु हो जाती है; या

(ट) जो कोई, बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है;या

(ठ) जो कोई, उसी बालक पर एक से अधिक बार या बार-बार प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ड) जो कोई, बारह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ढ) जो कोई, बालक का रक्त या दत्तक या विवाह या संरक्षकता द्वारा या पोषण देखभाल करने वाला नातेदार या बालक के माता-पिता के साथ घरेलू संबंध रखते हुए या जो बालक के साथ साझी गृहस्थी में रहता है, ऐसे बालक

पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ण) जो कोई, बालक को सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था का स्वामी या प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(त) जो कोई, किसी बालक के न्यासी या प्राधिकारी के पद पर होते हुए बालक की किसी संस्था या गृह या कहीं और बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(थ) जो कोई, यह जानते हुए कि बालिका गर्भ से है, बालिका पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(द) जो कोई, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयत्न करता है; या

(ध) जो कोई, [सामुदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान या प्राकृतिक विपत्ति की स्थिति या उस प्रकार को किन्हीं भी स्थितियों के दौरान] बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(न) जो कोई, बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और वह पूर्व में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई लैंगिक अपराध किए जाने के लिए दोषसिद्ध किया गया है; या

(प) जो कोईए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से विवस्त्र करता है या नग्न करके प्रदर्शन करता है,
वह गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है।

44— उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपना लिंग या कोई वस्तु या शरीर का हिस्सा (जो लिंग नहीं है) किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने को मजबूर करता है या किसी महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में हेरफेर करता है ताकि ऐसी महिला के योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भी हिस्से में प्रवेश किया जा सके या अपना मुंह लगाता है, वह बलात्कार की श्रेणी में आता है।

45— इस प्रकरण में पीड़िता मात्र 07 वर्ष 01 माह की नाबालिग बालिका है। पी0डब्लू0—1 पीड़िता अपने धारा 161 द0प्र0सं0 के कथनों से ही यह कथन कर रही है कि ''मुझे दादा (हेतराम) ने अपनी बगल में लेटाया था फिर .... के दादा ने मेरे कच्छे में हाथ डाला और अंगुली मेरी टायलेट वाली जगह डाली और मेरा हाथ अपने कच्छे में डलवाया और कुछ लम्बा सा पकड़वाया।'' पीड़िता अपने कथनों में किसी भी स्तर पर कोई सुधार नहीं कर रही है और अपने उपरोक्त कथनों का समर्थन अपने धारा 164 द0प्र0सं0 के

कथनों में भी कर रही है। पी0डब्लू0—1 पीड़िता ने अपने धारा 164 द0प्र0सं0 के कथनों में कथन किया कि—

''प्र0— आपके साथ क्या हुआ?

उ0— हेतराम अंकल मेरे घर से थोड़ा दूर रहते हैं।
प्र— उन्होंने आपके साथ कुछ किया?
उ0— अंकल ने मेरी पेशाब की जगह उंगली घुसेड़ रहे थे। फिर उन्होंने अपना कच्छा खोला तो अंकल अपने वहां हाथ डलवा रहे थे।
प्र0— फिर क्या हुआ ?
उ0— मुझे लगा पेट है पर कुछ और था।
प्र0—कब की बात है ?
उ0— परसो की बात है।
प्र0— आप कहां थे ?
उ0— मैं उनके घर के बाहर खेल रही थी फिर उनके घर में चली गयी।
प्र0— आपको उनके घर में किसने बुलाया ?
उ0— मैं अपने आप गयी थी।''

46— पीड़िता अपने धारा 161 द0प्र0सं0 के कथनों का समर्थन अपनी मुख्य परीक्षा में भी कर रही है। पी0डब्लू0—1 पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि—

''प्र01— बेटा हेतराम अंकल बुढ्ढे हैं?

उ0—हॉ।

प्र02— हेतराम अंकल का घर आपके घर से कितनी दूर है?

उ0— थोड़ी दूर है।

प्र03— उनके घर में प... और दि... भी रहते हैं?

उ0— प.... रहती है। प.... हेतराम की पौती है।

प्र04— जो वो हेतराम अंकल हैं, ने प.... से रजाई मंगवायी था?

उ0— हॉ।

प्र05— उन्होंने आपको रजाई में अपने साथ लिटवाया थ?

उ0— हॉ।

प्र06— उन हेतराम अंकल ने आपके उंगली कहां डाली थी?

उ0— टायलेट की जगह।

प्र08— जब टायलेट की जगह उंगली डाली तो आपके दर्द हुआ था?

उ0—नहीं में सिर हिलाया।''

47— पीड़िता ने अपने हर स्तर के कथनों में यह स्पष्ट कथन किया

कि अभियुक्त द्वारा उसके टायलेट के स्थान पर अपनी अंगुलियां डाली गयी थी और अभियुक्त ने उसे अपने साथ रजाई में लिटाया था। किसी भी स्तर पर पीड़िता ने यह कथन नहीं किया कि अभियुक्त द्वारा उसके प्राईवेट पार्ट को छुआ गया या स्पर्श किया गया। पीड़िता हर कथन में यह कथन स्पष्ट रूप से करती रही कि अभियुक्त द्वारा अपनी अंगुलियां उसके टायलेट के स्थान में डाली गयीं। इसके अतिरिक्त जब पीड़िता का मेडिकल जवाहर लाल नेहरू जिला चिकित्सालय रूद्रपुर में कराया गया तो पी0डब्लू0–1 पीड़िता ने, प्राइवेट पार्ट पर लालिमा पायी गयी और दर्द भी पीड़िता ने अपने मेडिकलकर्ता को बताया। पी0डब्लू0–3 डॉ0 दीवान्शी मित्तल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि **''पी0डब्लू0–1 की पेशाब करने वाली जगह पर लालिमा थी तथा उसे छूने पर पी0डब्लू0–1 दर्द की शिकायत कर रही थी। पी0डब्लू0–1 के कोई रक्तश्राव नहीं हो रहा था।''** पी0डब्लू0–3 डॉ0 दीवान्शी मित्तल ने अपनी प्रतिपरीक्षा में भी कथन किया है कि **''पी0डब्लू0–1 की पेशाब वाली जगह पर हल्की लालिमा थी और जिसे छूने पर दर्द बता रही थी।''**

48– अतः मात्र स्पर्श करने से पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर लालिमा तथा दर्द होना असामान्य प्रतीत होता है, जबकि पीड़िता हर स्तर पर स्पष्ट रूप से यह कथन कर रही है कि अभियुक्त द्वारा उसके टायलेट वाले स्थान पर अपनी अंगुलियों का प्रवेश किया गया। पीड़िता के मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों तथा मेडिकल आख्या के दृष्टिगत यह अपराध धारा 354 भा0द0सं0 व धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम की श्रेणी में नहीं आता है। उक्त अपराध बलात्कार तथा गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमले की श्रेणी में आता है। अत: अभियुक्त को उसके इस तर्क का कोई लाभ नहीं मिलता है।

49– बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि पीड़िता अपने हर स्तर के साक्ष्य में यह कथन कर रही है कि कथित घटना के समय वह खेल रही थी और उसके साथ अन्य बच्चे भी खेल रहे थे, परंतु विवेचक द्वारा उक्त बच्चों से कोई पूछताछ नहीं की गयी है और वह एक स्वभाविक व प्राकृतिक साक्षी थे और उनको न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये था, जिससे कि सत्यता सामने आ सकती थी, परंतु विवेचक ने ऐसा नहीं किया और इस कारण अन्वेषण त्रुटिपूर्ण है और इसका लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिये।

50— यह सत्य है कि पीड़िता अपने हर स्तर के साक्ष्य पर यह कथन करती रही है कि वह घटना स्थल पर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी और उनमें से एक बच्ची अभियुक्त की पोत्री भी थी और विवेचक द्वारा वह साक्ष्य भी लिया जाना चाहिये था, परंतु मात्र इस कारण कि विवेचक ने ऐसा साक्ष्य नहीं लिया, पीड़िता के विश्वसनीय साक्ष्य को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, जबकि पीड़िता के मौखिक साक्ष्य का समर्थन, पीड़िता की चिकित्सीय रिपोर्ट भी करती है।

State of Rajasthan Vs. Kishore AIR 1996 Supreme Court 3035 में अभिनिर्धारित किया है कि — Mere fact that the investigating officer committed irregularity or illegality during the course of the investigation case nor trust nerthy and reliable evidence can be cast aside to recard acquital on that account.

51— इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय ने अपनी अनेकों नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि मात्र पीड़िता के विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धी की जा सकती है।

मुश्ताक अली बनाम म0प्र0 राज्य 1991 म0नि0सा0 7 एम0पी0 42 में माननीय न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि — *बलात्कार के मामले में अभियोक्त्री के कथन की पुष्टि आवश्यक नहीं होती है।*

रूप सिंह बनाम स्टेट आफ उत्तरांचल 2006 कि0ला0ज0 353 में माननीय न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि — *जहॉ एक बलात्संग के मामले में दोषसिद्धि एकमात्र अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य पर अभिलिखित की जा सकती है, क्योंकि अभियोक्त्री का साक्ष्य एक आहत साक्षी के परिसाक्ष्य में अधिक विश्वसनीय होता है और वहां उसके कथन में थोड़ा बहुत विरोधाभाष पर महत्वहीन मतभेदों से कोई फर्क नहीं पड़ता है।*

विष्णु बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2006 कि0ला0ज0 3036 सु0को0 में माननीय न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि — *अभियुक्त की दोषसिद्धि का निर्णयादेश अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य पर पारित किया जा सकता है। यदि यह विश्वास करने के लिये प्रेरित करता हो।*

52— इसके अतिरिक्त अभियुक्त को बचाव साक्ष्य का भी अवसर न्यायालय द्वारा दिया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा बचाव साक्ष्य देने से इंकार

किया गया। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि जो बच्चे पीड़िता के साथ खेल रहे थे, उनमें से एक बच्ची अभियुक्त की पोत्री थी और अभियुक्त उसको अपने बचाव साक्ष्य में प्रस्तुत भी कर सकता था या अन्य कोई ऐसा पड़ोसी या परिवार का सदस्य या अन्य बच्चों को भी प्रस्तुत कर सकता था, जिसने घटना को देखा हो या अन्य कोई तथ्य उनकी जानकारी में हो, परंतु बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

53— बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि पीड़िता व अभियुक्त की जो डी0एन0ए0 परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत हुयी है, उस रिपोर्ट में पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर कोई भी शुक्राणु नहीं पाये गये हैं और इस कारण अभियुक्त सन्देह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

54— यहॉ यह उल्लेखनीय है कि पीड़िता ने कभी भी यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ Penitration किया गया, बल्कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में अपनी अंगुलियों को डाला गया था। ऐसी परिस्थितियों में डी0एन0ए0 रिपोर्ट में शुक्राणु पाया जाना सम्भव नहीं है, परन्तु यह देखा जाना आवश्यक है कि पीड़िता की आयु मात्र 07 वर्ष की है और अभियुक्त लगभग 75 वर्ष की आयु का है और अभियुक्त द्वारा अपनी अंगुलियां, पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में डाली गयी हैं और जिस कारण पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर लालिमा व दुखन पायी गयी है और पी0डब्लू0—3 पीड़िता की मेडिकलकर्ता ने इसको साबित किया है। जबकि पीड़िता ने अपने मौखिक साक्ष्यों में इस तथ्य का कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में अंगुलियां डाली गयी हैं। अतः बचाव पक्ष को उसके इस तर्क का कोई लाभ नहीं मिलता है।

55— इस प्रकरण में पीड़िता का 07 वर्ष की नाबालिग बालिका होना साबित है। पीड़िता ने अपने धारा 164 द0प्र0सं0 के कथन एवं अपनी मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य का कथन किया कि अभियुक्त द्वारा अपनी अंगुलियां, पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में डाली गयीं और इसकी सूचना पीड़िता ने अपनी माता को दी, जिसकी तहरीर पीड़िता की माता ने अगले ही दिन थाना ट्रांजिट कैम्प में दी। पीड़िता का मेडिकल जवाहर लाल नेहरू जिला चिकित्सालय रूद्रपुर में कराया गया, जहॉ पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर लालिमा तथा दुखन पायी गयी।

56— अभियोजन युक्तियुक्त सन्देह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त हेतराम द्वारा लगभग 07 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार कर उस पर गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया।

57— अतः अभियोजन, अभियुक्त हेतराम के विरूद्ध धारा 376कख भा0द0सं0 व धारा 5(ड)/6 पॉक्सो अधिनियम के अपराध को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है।

58— अतः अभियुक्त हेतराम को धारा 376कख भा0द0सं0 व धारा 5(ड)/6 पॉक्सो अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर लन्च बाद सुना जायेगा। पत्रावली लच्न बाद पेश हो।

दिनांक 19.12.2023

(अश्विनी गौड़)
एफ0टी0सी0/अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष
न्यायाधीश (पॉक्सो), रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर।

<u>लन्च बाद–</u>
<u>दिनांक 19.12.2023–</u>

59– पत्रावली लन्च बाद पेश हुयी। पुकार करायी गयी। अभियुक्त हेतराम न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित। अभियुक्त हेतराम को सजा के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त द्वारा कथन किया गया कि यह उसका पहला अपराध है तथा वह 75 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है। अतः कम से कम दण्ड की प्रार्थना की गयी।

60– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि पीड़िता मात्र 07 वर्षीय नाबालिग बालिका है तथा अभियुक्त द्वारा अत्यन्त गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अतः अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित करने की प्रार्थना की गयी।

61– उक्त सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि दोषसिद्ध हेतराम को धारा 376कख भा0द0सं0 व धारा 5(ड)/6 पॉक्सो अधिनियम में दोषसिद्ध किया गया है।

62– दोषसिद्ध हेतराम को धारा– 376कख भा0द0सं0 व धारा 5(ड)/6 पॉक्सो अधिनियम में दोषसिद्ध किया गया है। उक्त दोनों धारायें एक ही प्रकृति की हैं। पॉक्सो अधिनियम की धारा 42 में वर्णित किया गया है कि – ***धारा–42 आनुकल्पिक दण्ड***– *जहॉ किसी कार्य का लोप से इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा–166–क, धारा–354–क, धारा– 354–ख, धारा–354–ग, धारा–354घ, धारा–370, धारा– 370–क, धारा–375, धारा–376, धारा–376–क, धारा–376–कख, धारा–376–ख, धारा–376–ग, धारा–376–घ, धारा–376–घक, धारा–376–घख, धारा–376–ड., धारा–509 के अधीन भी दण्डनीय कोई अपराध गठित होता है वहॉ, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी उस दण्ड का भागी होगा, जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता के अधीन मात्रा में गुरूतर है।*

63– धारा– 376कख भा0द0सं0 में न्यूनतम 20 वर्ष व अधिकतम आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल तथा जुर्माना से अथवा मृत्यु दण्ड से दण्डनीय है। जबकि धारा 6 पॉक्सो

अधिनियम न्यूनतम 20 वर्ष व अधिकतम आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल तथा जुर्माने से या मृत्यु से दण्डनीय है, के आलोक में धारा 5(ड)/6 पॉक्सो अधिनियम गुरूतर है।

64– दोषसिद्ध हेतराम को धारा 5(ड)/6 पॉक्सो अधिनियम में 20(बीस) वर्ष के कठोर कारावास तथा मु.– 20,000/– (बीस हजार रूपये) जुर्माने से दण्डित करना न्यायोचित होगा।

:आदेश:

65– विशेष सत्र परीक्षण संख्या 51/2022 में, दोषसिद्ध हेतराम को धारा 376कख भा0द0सं0 व धारा 5(ड)/6 पॉक्सो अधिनियम में दोषी पाते हुए निम्नानुसार दण्डित किया जाता है।

66– दोषसिद्ध हेतराम को धारा– 5(ड)/6 पॉक्सो अधिनियम में (धारा 42 पॉक्सो अधिनियम के अनुसार) 20 (बीस) वर्ष के कठोर कारावास तथा मु.– 20,000/– (बीस हजार रूपये) जुर्माने से दण्डित किया जाता है। दोषसिद्ध हेतराम द्वारा जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर 06 (छः) माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

67– सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी।

68– दोषसिद्ध हेतराम द्वारा पूर्व में प्रस्तुत मामले में जेल में बितायी गयी अवधि उपरोक्त सजा में समायोजित की जायेगी।

69– दोषसिद्ध हेतराम के जुर्माने की धनराशि मु.– 20,000/–(बीस हजार रूपये) धारा 357(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देय होगी।

70– इस निर्णय की एक प्रति राज्य सरकार/जिलाधिकारी रूद्रपुर को इस आशय से प्रेषित की जाय कि वह राज्य सरकार द्वारा पीड़िताओं के लिये क्षतिपूर्ति निधि या अन्य स्कीम के अन्तर्गत, यदि कोई हो तो पीड़िता को मु.–3,00,000/–(तीन लाख रूपये) मुआवजे के रूप में प्रदान करना सुनिश्चित करें। यदि पीड़िता को इस मामले में कोई अन्तरिम प्रतिकर प्राप्त हुआ हो तो वह धनराशि इस प्रतिकर राशि में समायोजित की जायेगी।

71– इस निर्णय की एक प्रति निर्भया प्रकोष्ठ रूद्रपुर को भी भेजी जाय ताकि वह पीड़िता का पक्ष राज्य सरकार के समक्ष उचित रूप से रख

सके।

72— दोषसिद्ध हेतराम का सजायावी वारण्ट बनाकर सजा भुगतने हेतु उसे उपकारागार हल्द्वानी भेजा जाए।

73— निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध को तत्काल निःशुल्क प्रदान की जाए।

दिनांकः 19—12—2023

(अश्विनी गौड़)
एफ0टी0सी0 / अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष
न्यायाधीश, (पॉक्सो),जिला— ऊधम सिंह नगर।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 19—12—2023

(अश्विनी गौड़)
एफ0टी0सी0 / अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष
न्यायाधीश, (पॉक्सो),जिला— ऊधम सिंह नगर।

साक्ष्य की परिशिष्ट

अभियोजन पक्ष/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षियों की सूची

(अनुलग्नक–1)

क–अभियोजन पक्ष

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
पी0डब्लू0–1	पीड़िता	चक्षुदर्शी साक्षी
पी0डब्लू0–2	पीड़िता की माता	अन्य साक्षी
पी0डब्लू0–3	डॉ0 दिवान्शी मित्तल	चिकित्सक साक्षी
पी0डब्लू0–4	पीड़िता के स्कूल के प्रधानाचार्य	अन्य साक्षी
पी0डब्लू0–5	कॉ0 959 कुन्दन सिंह भण्डारी	पुलिस साक्षी
पी0डब्लू0–6	एस0आई0 रीता चौहान	पुलिस साक्षी

ख–बचाव साक्षी– कोई नहीं।
ग–न्यायालय साक्षी–कोई नहीं।

(अश्विनी गौड़)
एफ0टी0सी0/अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष
न्यायाधीश (पॉक्सो), रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर।

अभियोजन पक्ष/बचाव पक्ष/न्यायालय प्रदर्शों की सूची

(अनुलग्नक–2)

क–अभियोजन पक्ष प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श विवरण
1.	प्रदर्श पी–1/पी0डब्लू–2	तहरीर
2.	प्रदर्श पी–2/पी0डब्लू–3	पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट
3.	प्रदर्श पी–2ए/पी0डब्लू–4	पीड़िता के स्कूल के प्रवेश पत्र की प्रमाणित प्रति
4.	प्रदर्श पी–3/पी0डब्लू–4	पीड़िता के आधारकार्ड की प्रति
5.	प्रदर्श पी–4/पी0डब्लू–4	पीड़िता के स्कूल की एस.आर. पंजिका की प्रमाणित प्रति
6.	प्रदर्श पी–5/पी0डब्लू–4	पीड़िता के स्कूल द्वारा जारी प्रमाणपत्र
7.	प्रदर्श पी–6/पी0डब्लू–5	चिक एफ0आई0आर0
8.	प्रदर्श पी–7/पी0डब्लू–5	मुकदमा कायमी जी0डी0
9.	प्रदर्श पी–8/पी0डब्लू–6	रवानगी जी0डी0
10.	प्रदर्श पी–9/पी0डब्लू–6	गिरफ्तारी सूचना मेमो
11.	प्रदर्श पी–10/पी0डब्लू–6	खुलाशा जी0डी0 गिरफ्तारी अभियुक्त
12.	प्रदर्श पी–11/पी0डब्लू–6	नक्शा नजरी घटनास्थल
13.	प्रदर्श पी–12/पी0डब्लू–6	आरोप–पत्र

ख–बचाव पक्ष प्रदर्श– कोई नहीं।
ग–न्यायालय प्रदर्श–कोई नहीं।
घ–वस्तु प्रदर्श– कोई नहीं।

(अश्विनी गौड़)
एफ0टी0सी0/अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष
न्यायाधीश (पॉक्सो), रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर।